न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 96 / 2022(2022 / 304)

1. श्री भैरू पुत्र श्री लादू गुर्जर निवासी कणोज तहसील केकडी जिला अजमेर।

——प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. श्री कानसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह राठौड।
2. श्री देवराज सिंह पुत्र श्री सज्जनसिंह राठौड जाति राजपूत निवासीगण कणोंज तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. श्री नन्दा पुत्र श्री देवीलाल गुर्जर।
4. श्री रामा पुत्र गंगाराम गुर्जर।
5. श्री लाला पुत्र श्री देवीलाल गुर्जर समस्त जाति गुर्जर निवासीगण कणोंज तहसील केकडी जिला अजमेर।
6. श्री अम्बालाल पुत्र श्री गणेश गुर्जर।
7. श्री श्योजी पुत्र श्री उदा गुर्जर।
8. श्री किशनलाल पुत्र श्री काना गुर्जर समस्त जाति गुर्जर निवासीगण कणोंज तहसील केकडी जिला अजमेर।
9. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील केकडी।

—— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः—
प्रार्थी वकील :— श्री हनुमान प्रसाद शर्मा
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 16.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम कणोंज तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमावन्दी संवत 2073—76 में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड हैः—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
364—365	34 35	0.13 1.29	बारानी 1 बारानी 1
	कुल किता 2	रकबा 1.42हैक्टर	
369—368	30 31 32 33	0.25 0.12 0.56 0.07	बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1
	कुल किता 4	कुल रकबा 1.00	
364—365	1239 / 2200 1240	0.15 1.55	बारानी 1 बारानी 1

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

	कुल किता 2	कुल रकबा 1.70	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थि की खातेदारी की आराजीयात है व प्रार्थि ही आराजीयात को काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चली आ रही हैं। प्रार्थिया ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करता चली आ रही है। प्रार्थि की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है, जिसके कारण मौके पर विवाद होने की आशंका पैदा हो गई है। इसलिए पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 उक्त आराजीयात के पडौसी खातेदार है प्रार्थिया की उक्त आराजीयात के सीमा चिन्ह को नष्ट कर आराजीयात के हिस्से पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे हैं। सीमा चिन्हों को मौके पर नष्ट कर दिया जिससे उक्त आराजीयात का स्थायी सीमा ज्ञान पत्थरगढी से करवाया जाना आवश्यक हो गया है। इस कारण श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है प्रार्थि के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त आराजीयात की पत्थरगढी नहीं करवाई गई तो प्रार्थि को अपूरणीय क्षति होगी तथा मौके पर लडाई झगडा व अशांति होगी तथा अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढेगी। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 9 को सीमा ज्ञान हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 9 ने कहा कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी से पत्थरगढी के आदेश लेकर आओ अतः प्रार्थना पत्र के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अपनी उपरोक्तानुसार आराजी पर पत्थर गढी कराने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र मे किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई। अप्रार्थी संख्या 9 जरिये पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी अंकित कि गई जवाब में बताया कि पत्रावली में सलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि खातेदारी मे दर्ज है राजहित प्रभावित नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वय की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अ. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम कणोज तहसील केकडी की जमाबन्दी सवत 2073–76 के खाता संख्या नया पुराना 364–365 के खसरा संख्या 34,35 रकबा 0.13, 1.29हैक्टर तथा खाता संख्या नया–पुराना 369–368 के खसरा संख्या 30,31,32,33 रकबा 0.25, 0.12, 0.56, 0.07हैक्टर तथा खाता संख्या नया–पुराना 364–365 के खसरा संख्या 1239/2200, 1240 रकबा 0.15, 1.55हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिको की टीम गठित करके की जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(निकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner